



2026:AHC:47867

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7309 वर्ष 2026

विजयभान

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 54 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : अनिल कुमार यादव
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या-55 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उक्त आदेश से स्वयं को किसी प्रकार से आहत/असंतुष्ट महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मूलतः यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या-2, उप-जिलाधिकारी, हंडिया, जनपद प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वाद संख्या-2491 वर्ष 2026 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-टी202602030402491) में याचिकाकर्ता द्वारा दायर अंतरिम संरक्षण प्रार्थना-पत्र का शीघ्रताशीघ्र निस्तारण किया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आज दिनांक तक उक्त प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या-2 उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र का विधि के अनुसार कड़ाई से, यथाशीघ्र तथा अधिमानतः चार सप्ताह की अवधि के भीतर निस्तारण करें, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो, तथा अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए।

9 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।